राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

क्रमांक प. 17(1)शिक्षा–1/No Bag Day /2020 जयपुर, दिनांक : 10/8/2023

विशिष्ट शासन सचिव/ संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1 व 2)/ शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/ शिक्षा (ग्रुप–5), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।

निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।

निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।

विषयः– 12 अगस्त, 2023 ''नो बैग डे'' पर आयोजित विशिष्ट गतिविधि 'जीवन है अनमोल' के अवसर पर विद्यालय अवलोकन करने बाबत।

राज्य के विद्यार्थियों के समग्र विकास (Holistic Development) के क्रम में विभाग द्वारा **''नो बैग डे''** कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। विभाग के अ.शा. पत्र दिनांक 31.07.2023 द्वारा समस्त संस्था प्रधानों को **''नो बैग डे''** आयोजन के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

''नो बैग डे'' की विशिष्ट गतिविधियों में से **जीवन है अनमोल** के तहत सभी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान 12 अगस्त, 2023 को प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके तहत विद्यालयों का अवलोकन एवं संबलन प्रदान करने हेतु सड़क सुरक्षा पर अपनी बात विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना अपेक्षित है।

इस हेतु 12 अगस्त, 2023 को प्रातः 08.00 बजे से 10.00 बजे तक निकटस्थ सुविधाजनक विद्यालय में सड़क सुरक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान कर विद्यालयों में संबलन प्रदान करने का श्रम करें। सुलभ संदर्भ हेतु सडक सुरक्षा से सम्बन्धित विषयवस्तु संलग्न है। आप द्वारा की गई कार्यवाही से ई–मेल ds1edu@rajasthan.gov.in पर दिनांक 14.08.2023 तक अवगत करावें।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता

कक्षाः **6** से **8** अवधि**: 2** घंटे

पाठ का उद्देश्य **-**

1. विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और उन्हें वर्तमान परिदृश्य से अवगत कराना और सड़क सुरक्षा के संदर्भ में उनमें नागरिक भावना को विकसित करना।
2. विद्यार्थियों को बेहतर सड़क उपयोगकर्ता बनाने के लिए सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण करना।

अधिगम उद्देश्य **(Learning objectives)**

1. विद्यार्थी सड़क, यातायात और सड़क सुरक्षा के मुख्य बिन्दुओं को जानेंगे।
2. विद्यार्थी अपनी उम्र के अनुसार यातायात के सुरक्षित साधनों के बारे में जानेंगे व उनका सुरक्षित उपयोग करने में सक्षम होंगे।
3. विद्यार्थियों में सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार की समझ विकसित होगी।
4. विद्यार्थी सड़क और यातायात संकेतों को जानेंगे।

सामूहिक गतिविधि **-** सड़क सुरक्षा गीत गाने में रुचि रखने वाले 10-15 विद्यार्थियों का चयन करें। Annexure पर उल्लेखित सड़क सुरक्षा गीत तैयार करने में उनकी मदद करें और विद्यार्थियों को इस पाठ योजना के कार्यान्वयन से पहले प्रार्थना सभा में यह गीत गाना होगा।

शिक्षण अधिगम सामग्री **(TLMs)** - Annexure

● पाठ को शुरू करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को गुणा प्रश्न देगा। बोर्ड पर प्रश्न लिखें। ● प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों से पूछे। (यदि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न का समाधान करेगा।)	प्रश्न - यदि Rajasthan की सड़कों पर प्रतिदिन 30 मौतें और 61 चोटें आती हैं, तो सालाना प्रभावित लोगों की कुल संख्या की गणना करें।

परिदृश्य विद्यार्थियों को उन गीतों को याद दिलाना जो उन्होंने सुबह की प्रार्थना सभा में सुने/गाये। प्रष्न -1: शिक्षक बोर्ड पर देष के आंकड़े लिखेंगे। प्रष्न - 2: उनके जवाबों के बाद उन्हें राजस्थान के बारे में बताएं। प्रष्न - 3: राष्ट्र, राज्य और क्षेत्र के सड़क दुर्घटना के आँकड़ों पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा।	संभावित प्रश्न - 1. विद्यार्थियों से पूछें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? 2. क्या ये आंकडे चैकाने वाले है ? और क्यों ? 3. क्या आपके परिवार/मित्रों के घर में कभी कोई सड़क दुर्घटना हुई है? 4. सड़क दुर्घटनाओ का परिवार एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? 5. इन दुर्घटनाओ का कारण प्रायः क्या होता है ?

गतिविधि **. 1 :** कहानी सुनाना "जब मैंने पहली बार सड़क पार की" Annexure

- शिक्षक कहानी को जोर से पढ़ेगा और अन्य विद्यार्थी कहानी सुनते हुए सड़क पर ध्यान भटकाने वाले कारणों को नोट करेंगे।
- शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा नोट किये गये बिन्दुओं पर चर्चा/Role Play करेंगे।
    - दैनिक जीवन में सड़क का महत्व
    - सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण व उनके प्रभाव

गतिविधि **- 2:** Game:- रोड़ साईनेज खेल

- शिक्षक विद्यार्थी को चिट लेने के लिए बुलाएगा।
- विद्यार्थी को एक चिट चुननी होगी और उस चिन्ह का नाम बताए बिना कक्षा के विद्यार्थियों को एक्टिंग करके समझाना होता है/ या ब्लैक बोर्ड पर आकृति बनाना।
- विद्यार्थी हाथ के इशारों का उपयोग कर सकता है या शब्दों का उपयोग कर सकता है (रंग, आकार, विवरण आदि)
- टीचर कक्षा की क्षमता के अनुसार 3-4 राउण्ड खिलवा सकते है।

गतिविधि**- 3:** गुड सेमेरिटन विडियो/थियेटर/Role Play- सड़क दुर्घटना एवं मदद

Video Link:

https://drive.google.com/file/d/1DtMgGmaJbeervV-tf0g3QiTpRhhPgZzp/view?usp=sharing

Annexure

सड़क सुरक्षा

अगर सुरक्षित रहना तो, पटरी-पटरी चलना है
सड़क-सुरक्षा के नियमों का, पालन हरदम करना है।
मोबाइक या हो स्कूटर, हैलमेट पहनो कसकर तुम।
सीट बैल्ट को पहले बाँधों, अगर कार से करो सफर तुम
रक्षा-साधन अपनाओं, अगर दुर्घटना से बचना है।
सड़क सुरक्षा नियमों का, पालन हरदम करना है।
पीली रूकने का संकेत, लाल रोषनी हुई-रूको, हरी रोषनी हुई-चलों
चैराहे को को पार करो। जो भी सिग्नल मिले राह में उसे ध्यान से पढ़ना है
सड़क सुरक्षा नियमों का, पालन हरदम करना है।
अफसर हो चाहे बाबू, गति पर रखों तुम काबू नियम तोडना जुर्म है, लाइसेंस परमो धर्म है।
यात्रा में व्यवधान न हो, गाड़ी का नुकसान न हो जरा सड़क का मान करो, राहगीर का ध्यान करो।
फिर न पुलिस भी टोकेगी, न ही कहीं भी रोकेगी ना चालान, ना जुर्माना, तुम्हें न होगा भुगताना
कुछ पेमेण्ट नही होगा, एक्सीडैंट नही होगा गाड़ी का सुख पाओगे खुषी-खुषी घर जाओगे
(ब्रेक बत्तियाँ सही रहे, वाजिब दूरी बनी रहे)
जीवन-रक्षा सबसे पहले, अगर सड़क पर चलना है सड़क-सुरक्षा के नियमों का हरदम पालन करना है।

Copyright of Muskaan Foundation for Road Safety
Singer – Padm Shree Awardee Late Shrimati Vani Jairam
Song Download Link –

https://drive.google.com/file/d/1M87eI-5QMr-AxXsKZecqa0e34N5k0Tlu/view?usp=sharing

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े

बेहतर सड़कें तथा परिवहन सेवाएं विकास एवं अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्यकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के वाहन डेसबोर्ड (2022) के अनुसार भारत में कुल 30.63 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं जिनकी संख्या में प्रतिवर्ष 10ः की दर से इजाफा हो रहा है। राजस्थान में वाहनों की संख्या लगभग 4.21 करोड़ (नवम्बर 2022 के आंकड़ों के अनुसार) है। लगातार बढ़ते वाहनों से निश्चय ही बुनियादी ढांचे एवं आर्थिक विकास को गति मिल रही है परन्तु दूसरी ओर इसके अनेक भयावह परिणाम भी सामने आ रहे हैं जैसे वातावरण पर विपरीत प्रभाव (वायु एवं ध्वनि प्रदूषण), सड़क दुर्घटनाएं, पैदल चालक, साइकिल चालक एवं गैर मोटर चलित वाहनों की सुरक्षा को खतरा एवं पार्किंग की समस्या।

क्या आप जानते हैं **?**

- पूरे विश्व में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 1.35 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं और 50 मिलियन घायल होते हैं।
- पूरे विश्व में ये यातायात दुर्घटनाऐं 5-29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों की मृत्यु का पहला कारण।
- भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं से 1.50 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। पूरे विश्वमें होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर 10 मौतों में से एक व्यक्ति भारत से है।
- इनमें से 1.10 लाख (72%) 16-45 वर्ष की उम्र के बीच आते है।

भारत में रोज किन की मृत्यु हो रही है **?**

28 बच्चे **(<18 yrs)**

90 युवा **(<18 - 25 yrs)**

110 व्यस्क **(<25 - 35 yrs)**

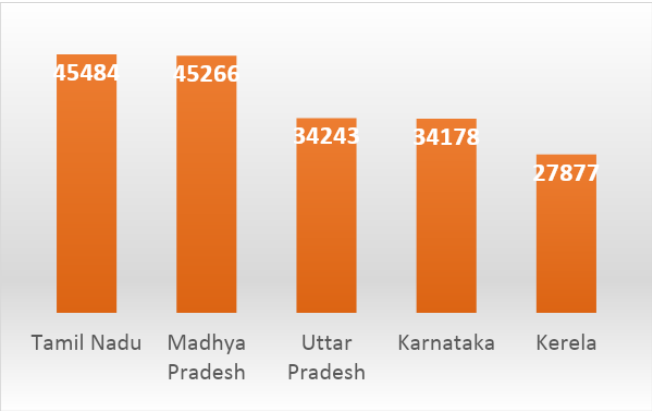

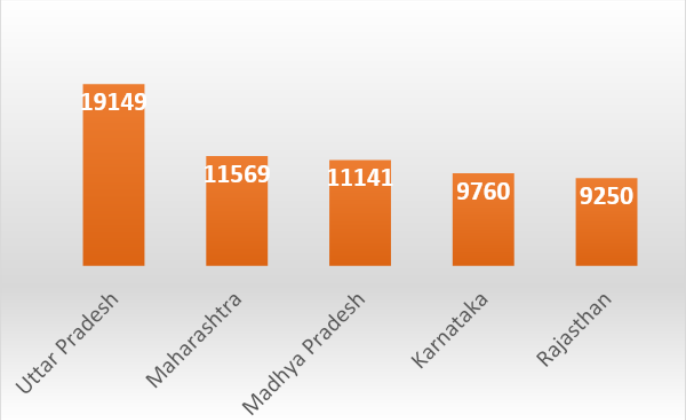

भारत में कुल सड़कों की लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गो का हिस्सा केवल 2.7% है, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली मौतों का हिस्सा लगभग 36% है।

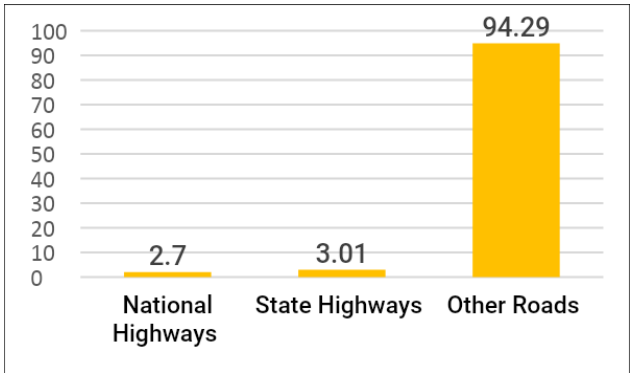

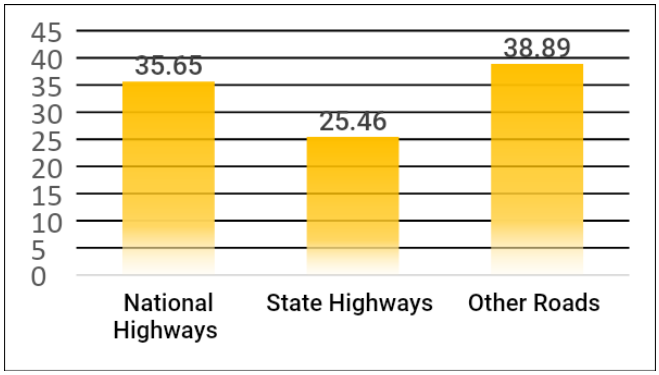

कहानी

जब मैंने पहली बार सड़क पार की

आज मुझे मां के साथ पास ही के बाजार में जाना था। जब हम घर से निकले तो मां ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मां ने समझाया कि सड़क पर चलते समय बच्चों का हाथ पकड़ना जरूरी है। "क्यों" मैंने पूछा। हम तब तक सड़क किनारे बने फुटपाथ पर आ गए थे। मां ने दिखाया कि सड़क पर कई तरह की गाड़िया जैसे बस, स्कूटर, मोटर साईकिल आदि तेजी से आ जा रहे थे। इस तरह के यातायात में बच्चों को माता-पिता का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। मैंने मां से कहा - "जब मैं छठी कक्षा में जाऊंगा तो बड़ा हो जाऊंगा, है ना मां" मां ने हंस कर कहा, बहुत बड़े, फिर तुमको सीखना होगा अकेले सड़क पार कैसे करनी चाहिए।

तभी लाल बत्ती हो गई और सारा टैªफिक रूक गया। पुलिसमैन भैया ने हमें इशारा किया। हमारे साथ पड़ौस वाले दादा जी और उनकी पोती भी थी। हम सबने जेब्रा लाइन से सड़क पार की। सड़क पार करके मैंने पीछे देखा - अरे वाह, टैªफिक की बत्ती लाल से पीली हो गई थी। कुछ ही देर में हरी बत्ती हो गई और सारे वाहन चल पड़े।

सड़क पर चलने के कुछ नियमः-

- छोटे बच्चें सड़क पार करते समय सदा बड़ों का हाथ पकड़कर चले।
- जेब्रा लाइन से पैदल चलने वालों को सड़क पार करने में आसानी रहती है।
- जहां यातायात के संकेत न हो, वहां बहुत सावधानी से जब कोई वाहन नहीं आ रहा हो तो तब सड़क पार करनी चाहिए और सड़क पार करते समय पहले दाएं, बाएं और फिर बाएं देखना चाहिए।

सड़क चिन्ह

यातायात संकेत चिन्ह मूल रूप से तीन प्रकार के है। गोल संकेत जो आदेष देते है, त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देते हैं और आयताकार संकेत सूचना प्रदान करते है।

गोल (आदेषात्मक) त्रिकोणीय (चेतावनी) आयताकार (सूचनात्मक)

ROAD SIGNS सड़क संकेत

REGULATORY SIGNS | आदेशात्मक चिन्ह

रूकिए (स्टॉप)

सीधा प्रवेश निषेध

एक तरफा यातायात

ओवरटेक करना निषेध

सभी मोटर वाहनों का निषेध

ट्रक निषेध

दाएं मुड़ना निषेध

अधिकतम गति सीमा

(यू) मुड़ना निषेध

बाएं मुड़ना निषेध

हॉर्न बजाना निषेध

दाएं मुड़ना अनिवार्य

खड़े होना निषेध

रूकना निषेध

बाये मुड़ना अनिवार्य

हॉर्न बजाना अनिवार्य

सीधे जाना अनिवार्य

आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य

सीधे जाना या
बाएं मुड़ना अनिवार्य

बाएं रहना अनिवार्य

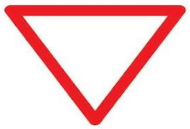
रास्ता दीजिए

न्यूनतम गति सीमा

अनिवार्य साईकिल पथ

CAUTIONARY / WARNING SIGNS | चेतावनी चिन्ह

दायां घुमाव (कर्व)

बायां घुमाव (कर्व)

दायां यू–नुमा घुमाव
(हेयर पिन बेन्ड)

बायां यू–नुमा घुमाव
(हेयर पिन बेन्ड)

दायां विपरीत मोड़
(रिवर्स बेन्ड)

बायां विपरीत मोड़
(रिवर्स बेन्ड)

खड़ी चढ़ाई

सीधी ढलान

आगे सड़क संकरी है

आगे सड़क चौड़ी है

संकरा पुल

फिसलन वाली सड़क

बजरी–रोड़ी वाली
सड़क (लूज ग्रेवल)

पैदल पारपथ

आगे स्कूल है

पशु / मवेशी

रेलवे क्रॉसिंग गार्डेड
(फाटक वाली)

चट्टानों के
गिरने की संभावना

खतरनाक झुकाव

ऊबड़–खाबड़ सड़क /
गति अवरोधक

विभाजिका में
जगह (गैप) है

चौराहा (क्रॉस रोड)

वाईनुमा तिराहा

वाईनुमा तिराहा

टी–नुमा तिराहा

रेलवे क्रॉसिंग अनगार्डेड
(बिना फाटक वाली)

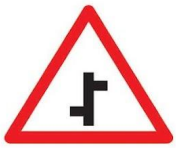
आगे पीछे तिराहा (स्टैगर्ड)

गोलचक्कर

क्वेसाइड अथवा
नदी का किनारा

आदमी काम पर हैं

INFOMATORY SIGNS | सूचनात्मक चिन्ह

अग्रिम दिशा चिन्ह

मंजिल चिन्ह

दिशा चिन्ह

स्थान पहचान चिन्ह

गोलचक्कर
अग्रिम दिशा चिन्ह

पेट्रोल पम्प

अस्पताल

प्राथमिक
चिकित्सा केन्द्र

भोजनालय

मंजिल चिन्ह
(पुनः सुनिश्चित करता हुआ)

जलपान स्थल

विश्राम स्थल

आगे सड़क बन्द है

रेलवे स्टेशन

मरम्मत सुविधा

सार्वजनिक टेलीफोन

बस स्टॉप

आगे टनल है

भूमिगत पैदल पारपथ

दोनों तरफ पार्किंग

पार्किंग स्थल
ऑटोरिक्शा

पार्किंग स्थल
टू–व्हीलर

पार्किंग स्थल
टैक्सी

पाठ योजना

कक्षाः **9** से **12** पाठ की अवधि: **2 Hours**

पाठ का उद्देश्य **-**

1. विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और उन्हें वर्तमान परिदृश्य से अवगत कराना और सड़क सुरक्षा के संदर्भ में उनमें नागरिक भावना को विकसित करना।
2. विद्यार्थियों को बेहतर सड़क उपयोगकर्ता बनाने के लिए सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण करना।

अधिगम उद्देश्य **(Learning objectives)**:

1. विद्यार्थी सड़क, यातायात और सड़क सुरक्षा के मुख्य बिन्दुओं को जानेंगे।
2. विद्यार्थियों में सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार की समझ विकसित होगी।
3. विद्यार्थी लाइसेंस के कानूनी पहलू और मोटर यान अधिनियम के बारे में समझेंगे।
4. विद्यार्थी सड़क और यातायात संकेतों को जानेंगे।

सामूहिक गतिविधि **-** सड़क सुरक्षा गीत गाने में रुचि रखने वाले 10-15 विद्यार्थियों का चयन करें। Annexure पर उल्लेखित सड़क सुरक्षा गीत तैयार करने में उनकी मदद करें और विद्यार्थियों को इस पाठ योजना के कार्यान्वयन से पहले प्रार्थना सभा मंे यह गीत गाना होगा।

प्रषिक्षण सामग्री **(TLMs)** - Annexure

● पाठ को शुरू करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को गुणा प्रश्न देगा। बोर्ड पर प्रश्न लिखें। ● प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों से पूछे। (यदि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न का समाधान करेगा।)	प्रश्न - यदि Rajasthan की सड़कों पर प्रतिदिन 30 मौतें और 61 चोटें आती हैं, तो सालाना प्रभावित लोगों की कुल संख्या की गणना करें।
परिदृश्य विद्यार्थियों को उन गीतों को याद दिलाना जो उन्होंने सुबह की प्रार्थना सभा में सुने/गाये। प्रष्न -1:शिक्षक बोर्ड पर देष के आंकड़े लिखेंगे। प्रष्न - 2:उनके जवाबों के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं।	संभावित प्रश्न **-** 1. विद्यार्थियों से पूछें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? 2. क्या ये आंकडे चैकाने वाले है ? और क्यों ? 3. क्या आपके परिवार/मित्रों के घर में कभी कोई सड़क दुर्घटना हुई है?

प्रष्न - 3:राष्ट्र, राज्य और क्षेत्र के सड़क दुर्घटना के आँकड़ों पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा।	4. सड़क दुर्घटनाआंे का परिवार एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? 5. इन दुर्घटनाआंे का कारण प्रायः क्या होता है ?

गतिविधि **- 1:** पहेलियां Annexure

गतिविधि **- 2:** कहानी सुनाना "निखिल की कहानी" Annexure

- एक शिक्षक कहानी को जोर से पढ़ेगा और अन्य विद्यार्थी कहानी सुनते हुए सड़क पर ध्यान भटकाने वाले कारणों को नोट करेंगे।
- निम्नलिखित बिन्दुओं पर विद्यार्थियों से चर्चा/Role Play करंगे।
    - नाबालिक द्वारा वाहन चलाना एवं इस पर सजा का प्रावधान
    - लाइसेंस प्रक्रिया
    - सड़क दुर्घटना के प्रभाव, घातक कारण और सजा का प्रावधान
    - दुपहिया और चैपहिया वाहन चलाने के सुरक्षात्मक उपाय
    - सड़क और यातायात सकेंत

गतिविधि **- 3:** गुड सेमेरिटन विडियो / थियेटर / Role Play - सड़क दुर्घटना एवं मदद

Annexure

दुर्घटना से देर भली
शहर सड़क और गाँव गली चैक चैराहा बात चली
चलो सड़क पर संभल संभल कर सड़क नियम से मौत टली
एक नियम से मौत टली
क्योंकि दुर्घटना से देर भली - 2
पहन फिटिंग की जीन्स बाइक पर किक लगाता रियर मिरर में देख शकल को रेस दबाता
पापा की महँगी बाइक पर पप्पू हीरो बनता दबा हेलमेट काख में फन्नेखां सा लगता
पर समझो, तुम समझोए दुर्घटना से देर भली-2
अंग्रेजी बोतल हाथ में पप्पू ड्रिंक लगाये सड़क पे चलता ओवर स्पीड, बाइक को लेहराये
कंधे पे रख फ़ोन को दोस्तों से बतियाये।
पर समझो, तुम समझो दुर्घटना से देर भली-2

Song Download Link:
https://drive.google.com/file/d/1i-5fyQOEUROiP1ar1s0lLZvTKd4Pqw7Q/view?usp=drive_link

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े

बेहतर सड़कें तथा परिवहन सेवाएं विकास एवं अर्थव्यवस्था की आधारभूत आवश्यकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के वाहन डेसबोर्ड (2022) के अनुसार भारत में कुल 30.63 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं जिनकी संख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से इजाफा हो रहा है। राजस्थान में वाहनों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। लगातार बढ़ते वाहनों से निश्चय ही बुनियादी ढांचे एवं आर्थिक विकास को गति मिल रही है परन्तु दूसरी ओर इसके अनेक भयावह परिणाम भी सामने आ रहे हैं जैसे वातावरण पर विपरीत प्रभाव (वायु एवं ध्वनि प्रदूषण), सड़क दुर्घटनाएं, पैदल चालक, साइकिल चालक एवं गैर मोटर चलित वाहनों की सुरक्षा को खतरा एवं पार्किंग की समस्या।

क्या आप जानते हैं **?**

- पूरे विश्वमें सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 1.35 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं और 50 मिलियन घायल होते हैं।
- पूरे विश्वमें ये यातायात दुर्घटनाऐं 5-29 वर्ष की आयु के बच्चों और युवा वयस्कों की मृत्यु का पहला कारण।
- भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं से 1.50 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। पूरे विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर 10 मौतों में से एक व्यक्ति भारत से है।
- इनमें से 1.10 लाख (72%) 16-45 वर्ष की उम्र के बीच आते है।

भारत में रोज किन की मृत्यु हो रही है **?**

28 बच्चे **(<18 yrs)**

90 युवा **(<18 - 25 yrs)**

110 व्यस्क **(<25 - 35 yrs)**

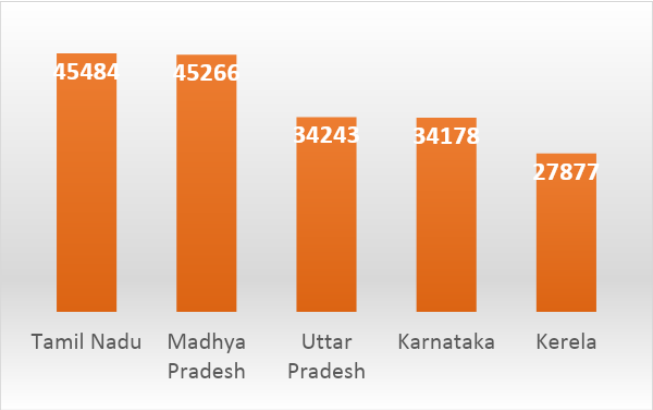

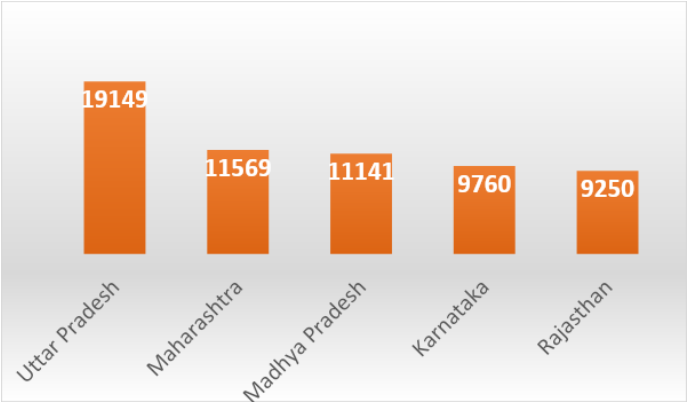

भारत में कुल सड़कों की लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गो का हिस्सा केवल 2.7% है, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली मौतों का हिस्सा लगभग 36% है।

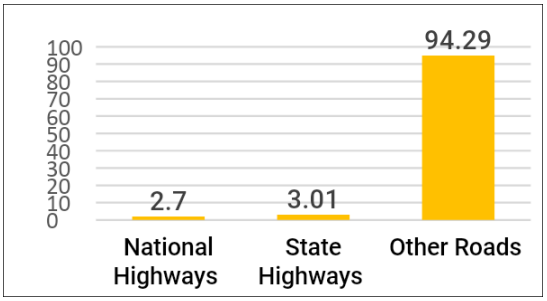

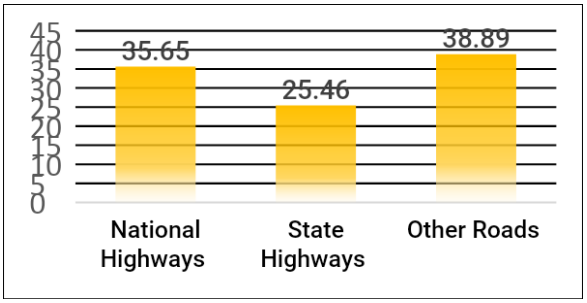

राजस्थान में वर्ष 2020 में कुल 19144 दुर्घटनाये हुई जिसमे 16769 घायल हुए तथा 9250 लोगो की मृत्यु हुई

ड्राइविंग लाइसेंस

सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति अर्थात् ड्राइविंग लाइसेंस एक अति आवश्यक एवं अनिवार्य दस्तावेज है। यह स्थानीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। वाहन चालक के पास उसके द्वारा चलाये जा रहे वाहन की श्रेणी से सम्बन्धित लाइसेंस होना आवश्यक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्र में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के प्रावधान किये गये है।

लाइसेंस के प्रकार मुख्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं।

- प्रशिक्षु (लर्निंग लाइसेंस वाहन चलाना सीखने के लिए)।
- स्थाई (परमानेंट) लाइसेंस

प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

यह लाइसेंस अस्थायी होता है जो केवल 6 माह तक के लिए वैध होता है। तथा मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। प्रशिक्ष लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते है

- आवेदन पत्र (फॉर्म 2)
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक के नवीनतम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- फॉर्म 1 ए में चिकित्सा प्रमाण पत्र
- फॉर्म में चिकित्सा फिटनेस की स्वघोषणा
- प्राधिकरण द्वारा तय की गई निर्धारित फीस
- दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् कियोस्क पर 20 मिनट का एक टेस्ट आयोजित किया जाता है जिसमें 20 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टेस्ट को पास करने वाले आवेदक को प्रशिक्षु लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

स्थायी लाइसेंस

- प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिन पूर्ण होने पर अथवा 180 दिन से पहले स्थायी लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदक का वाहन चालन परीक्षण लिया जाता है। उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्थाई चालन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। सम्बन्धित वाहन श्रेणी का स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- वैध मूल प्रशिक्षु (लर्नर) लाइसेंस
- आवेदन पत्र (फॉर्म 4 / वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए फॉर्म 5)
- निर्धारित फीस
- मूल आयु एवं निवास प्रमाण पत्र?
- एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

पहेली

यह बडे आकार की होती है।	इसके चार पहिये होते है।

छः पहिये होते है। काफी लोग इसमें बैठते है। इसका प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। उत्तर: बस	प्रायः परिवार के लोग इसमें एक साथ बैठते है। यह बस से छोटी होती है। उत्तर: कार
इसमें कम से कम छः या अधिक पहिये होते है। इसमें भारी और ज्यादा माल भरा जाता है। यह दूर-दूर तक सामान ले जाने के लिए प्रयोग होता है। इसका आकार बड़ा होता है और यह डीजल से चलता है। उत्तर: ट्रक	मैं बादलो जैसा काला, सड़क पर सबको डराने वाला फैक्ट्री और वाहन इसका कारण, हमें जरूरी है निवारण बताओ मैं कौन हूँ ? उत्तर: प्रदूषण
इसके तीन पहिये होते है। यह पीछे से खुला होता है। इसमें सामान भरा जाता है। उत्तर: लोडिंग टेम्पो	इसके दो पहिये होते है। इस पर एक या दो लोग बैठते है। इसमें ईधन का प्रयोग नही होता है। उत्तर: साईकिल
मैं सबके साथ करता हूँ काम, भरोसेमन्द दोस्त है मेरा नाम, जो खतरे में हो आप तो मुझे करोगे याद, बताओ मैं कौन हूँ ? उत्तर: पुलिसमैन	इसके दो पहिये होते है। इस पर एक या दो लोग बैठते है। उत्तर: मोटर साईकिल
सुरक्षा मेरा धर्म तुम्हे स्कूल से लाना तुम्हे स्कूल को छोडना मेरा यह है ये कर्म बताओं मैं कौन हूँ ? उत्तर: स्कूल बस	सड़क और रेल टैक जब करते है क्रॉस। दोनो की सुरक्षा है मेरा काम। कभी मानव रहित कभी-कभी मानव सहित ।बताओ और जीतो इनाम। उत्तर - रेल्वे फाटक

निखिल की कहानी

एक लडका था जिसका नाम निखिल था। निखिल राजकीय स्कूल मे पढता था। उसकी मम्मी और पापा दोनो ही बहुत अच्छे डॉक्टर थे। निखिल अपनी परीक्षा में अच्छे अंको से पास हुआ। उसने अपनी मम्मी

पापा से बाईक दिलाने के लिए कहा लेकिन उसकी मम्मी ने मना कर दिया। किसी कारण से उसकी मम्मी को बाहर जाना पड़ा। अपनी मम्मी के जाने के बाद निखिल ने अपने पापा को बाईक दिलाने के लिए राजी कर लिया कि वो लापरवाही से नही चलाएगा । निखिल ने इस बात को मान लिया और निखिल के पापा ने उसे बाईक दिला दी। एक दिन उसके पापा को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ा और निखिल के पापा ने बाईक को गैरेज मे खड़ा कर दिया। एक दिन दोस्तो ने निखिल को रेसिंग के लिए तैयार कर लिया। फिर निखिल ने गैरेज का ताला तोड दिया और सारे दोस्त रेसिंग करने के लिए निकल गये। उन्होने स्टेच्यू सर्किल से लेकर जनपथ तक रेस लगाने को तैयार हो गये। सारे दोस्त उसके आगे निकल गये थे निखिल पीछे रह गया था निखिल अपनी मे था उसके आगे एक जीप खडी थी उसे लगा कि वो जीप के आगे से निकल जायेगा। लेकिन अचानके जीप ने पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया निखिल ने अपने आप को बचाने के लिए ब्रेक लगाया वो बहुत तेजी से उछला फिर बिजली के तारो से टक्कराया और खम्बे के कोने से जाकर उसका सिर भीड गया और उसके बाद उसके दोस्तो ने उसे एस.एम.एस अस्पताल मे भर्ती करवाया। उसके बाद 14 दिन तक निखिल को वेंटीलेटर पर रखा गया बाद मे 15 दिन उसकी मम्मी ने ही उसका वेंटीलेटर से हटा दिया क्योकि उसकी मम्मी खुद एक डॉक्टर थी वो जानती थी कि निखिल अब ठीक नही हो सकता है। और वो निखिल को ऐसे नही देख सकती है। आज भी उसके पापा निखिल की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझते है उन्होने लगता है कि वो अगर निखिल को गाड़ी नही दिलाते तो शायद वो आज इस दुनिया मे होता। किसकी गलती थी घ्

मोटर वाहन अधिनियम **(**संषोधन**) 2019** के अन्तर्गत जुर्माने के विभिन्न प्रावधान

- सीट बैल्ट नहीं पहनने पर 1000 रूपये जुर्माना - मोटर वाहन अधिनियम धारा 194B
- हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रूपये जुर्माना एवं 3 माह तक लाइसेंस का निलम्बन - मोटर वाहन अधिनियम धारा 194B
- शराब पीकर वाहन चलाना - 6 महीने की जेल या जुर्माना रू. 10,000 अथवा दोनो - मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B
- गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना - जुर्माना रू. 1000 स 5000 या 6 महीने की जेल - मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184
- नाबालिक द्वारा अपराध - अभिभावक अथवा वाहन मालिक को जेल जो कि 3 साल तक बढ़ायी जा सकती है एवं 25,000 रूपये जुर्माना। ऐसे नाबालिक को 25 वर्ष की आयु तक वाहन चलाने का लाइसेंस नही दिया जायेगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना - 5000 रू जुर्माना और 3 महीने की सजा का प्रावधान।
- मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 के तहत मुआवजा धारा - 161 के तहत हीट एण्ड रन पीड़ितो के लिए मुआवजा - मुत्यु होने पर 2,00,000 रू एवं गम्भीर घायल/ शारीरिक चोट लगने पर 50,000 रू.

हेलमेट: दोपहिया वाहनों की दुर्घटनाएं

गत कई वर्षों से मोटर वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिनमें दुपहिया वाहनों का हिस्सा लगभग 65% है। इस वजह से दुपहिया वाहन चालकों की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। हेलमेट का उपयोग नहीं करने की वजह से सिर में गंभीर चोट आती है। सिर व गर्दन की चोट मौत व अपंगता का मुख्य कारण है। विकासशील देशों में दुर्घटना में मृत्यु का 75% से 80% कारण सिर पर चोट लगना है। सिर पर लगने वाली चोटों का उपचार अन्य किसी बीमारी से ज्यादा महंगा पड़ता है। ऐसी चोट से बचे हुए लोग कभी सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं।

सीट बेल्ट

चैपहिया व भारी वाहनों में सीट बेल्ट सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिक सुरक्षा उपकरण है। सीट बैल्ट के प्रभाव के पीछे महत्वूपर्ण सिद्धांत यह है कि गति में परिवर्तन के समय को बढ़ा देती है और इस प्रकार उस बल को कम कर देती है जो शरीर पर प्रभाव डालता है।

एयर बैग तभी कार्य करता है जब सीट बेल्ट बंधी हुई हो। सीट बैल्ट के प्रयोग से गम्भीर चोट लगने की सम्भावना, आगें की सीट वाले के लिये 37% एवं पीछे की सीट वाले के लिए 75% तक कम हो जाती है।